विषयः जनपद न्यायालय हमीरपुर परिसर में सूखे गिरे पेड व कटी लकडियो की नीलामी।

नीलामी की तिथि– 03/07/2017
नीलामी का समय– 04:30 अपरान्ह
नीलामी का स्थान– सभागार कक्ष जनपद न्यायालय हमीरपुर

<u>नीलामी सूचना/विज्ञप्ति</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हमीरपुर परिसर में सूखे गिरे पेड व कटी लकडियों की पुनः नीलामी कार्यवाही दिनांक 03/07/2017 को नियत की गयी है। सूखे गिरे पेड व कटी लकडियों की नीलामी रू0 20,000/– (निर्धारित कीमत) से कम नही होगी। इच्छुक व्यक्ति/संस्था नीलामी बोली में भाग लेने हेतु नियत तिथि को समय अपरान्ह 04:30 बजे सभागार कक्ष जनपद न्यायालय हमीरपुर में उपस्थित होगे। पेड़ो का विस्तृत विवरण नजारत अनुभाग से कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है।

06-06-17

दिनांकः 06.06.2017

(अशोक कुमार प्रेमी)
प्रभारी अधिकारी (नजारत)
विशेष न्यायाधीश (दं0प्र0क्षे0)
जनपद न्यायालय, हमीरपुर

<u>नीलामी की शर्ते</u>

1– नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि यह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे। अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षत अधिकारी द्वारा की जायेगी।

2– प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रू0 5000/– नगद जमा करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियो की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरंत वापस कर दी जायेगी।

3–नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा जो उक्त धनराशि जमा करेगा।

4– बोली बोलने वाले का यह उत्तरदायी होगा कि बोली से पूर्व उक्त पेड़ो का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

5– जिसकी बोली अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली का 75 प्रतिशत धनराशि तुरंत जमा करना होगा, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति की निर्धारित धनराशि तुरंत जमा नही की गयी तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत धनराशि जब्त कर ली जायगी।

6– सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिक बोली बोलने वाले को एक सप्ताह मे शेष धराशि जमा करनी होगी अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी व पेड़ो को पुनः नीलाम किया जायेगा।

7– नीलाम किये गये पेड़ो को उच्च बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नही दी जायेगी जब तक की उसने बोली की पूर्ण धनराशि का भुगतान न कर दिया हो।

8– जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को पेड़ो का पूरा मूल्य जमा कर देने के पश्चात तथा शर्त संख्या 7 के पूर्ण होने के पश्चात तत्काल सूखे गिरे पेड व कटी लकडियों को हटाना होगा।

9– यदि नीलामी की शर्तो के विषय में कोई विवाद उठता है तो माननीय जनपद न्यायालय हमीरपुर द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

10– नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद हमीरपुर में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जा सकेगी।

06-06-17

(अशोक कुमार प्रेमी)
प्रभारी अधिकारी (नजारत)
विशेष न्यायाधीश (दं0प्र0क्षे0)
जनपद न्यायालय, हमीरपुर

दिनांक: 06.06.2017